



95



समक्षा : न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

अपील क्रमांक / 2017
A-878-I-17

शेख उवेश खान उम्र 35 वर्ष,
पिता स्व. शेख रसूल, निवासी, गाड़ाघाट

तहसील पाटन जिला जबलपुर म. प्र. ... अपीला थीं/आवेदक

287

श्री. आशिष नारायण मिश्र
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार: सीडर
07 FEB 2017
अधीकारक
महान्यायक, जबलपुर

वि विद्

- रहीसा बेगम उम्र 56 वर्ष पत्नी स्व. शेख रसूल,
निवासी पुराना बस स्टैण्ड के पास धिरिया
मोहल्ला धिरिया जिला हिन्दोरिया म. प्र.
- रजीन बी पति शेख रसूल, उम्र 49 साल,
- शेख मकसूद पिता शेख रसूल, उम्र 21 वर्ष,
क. 2 एवं 3 निवासी : गाड़ाघाट, तहसील पाटन,
जिला जबलपुर म. प्र.

.... प्रति अपीला थीं/अनावेदक

अपील अन्तर्गत धारा 44 म. प्र. राजस्व संहिता 1959

अपीला थीं प्रकरण क्र. 318 -/अ-6/2013 -2014 पक्षकार

रजीन बी व अन्य बनाम रहीसा बेगम व अन्य में न्यायालय आयुक्त
जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2016, व प्रकरण क्रमांक :
76-अ-6 /2011-2012 पक्षकार रहीसा बेगम विरुद्ध रजीन बी व अन्य
न्यायक्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी पाटन के आदेश दिनांक 30.12.2013
से क्षुब्ध एवं पीड़ित होकर निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर यह

अपील प्रस्तुत कर रहा है :-


(Handwritten signature)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-878-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/03/2018	<p>आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं। समय-समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई, परंतु कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	